रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 575] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 1997/आश्विन 16, 1919
No. 575] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 1997/ASVINA 16, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1997

का. आ. 715 (अ).—बोडो लिब्रेशन टागहर और अनेक पद (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बोडो लिब्रेशन टागहर कहा गया है) का भारत संघ के भीतर सशस्त्र संघर्ष के द्वारा पृथक बोडोलैण्ड स्थापित करना और जनक्रान्ति का मार्गदर्शन करने वाली विद्रोही और भूमिगत क्रियाकलापों का संचालन करना तथा भारत की प्रभुत्ता और प्रादेशिक अखण्डता को विच्छिन्न करना घोषित उद्देश्य है,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि बोडो लिब्रेशन टाईगर—

(i) असम में अपना पृथक बोडोलैण्ड राज्य स्थापित करने के अपने उद्देश्य की अग्रसर करने के लिए आशयित अनेक अवैध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में लिप्त रहा है,

(ii) अपने उद्देश्यों के अनुसरण में हाल ही में कई विधिविरुद्ध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में लगा रहा है,

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि विधिविरुद्ध और हिंसात्मक क्रियाकलापों के अन्तर्गत निम्नलिखित है :—

(क) 1996 से जुलाई, 1997 की अवधि के दौरान 104 हिंसात्मक और आतंकवादी घटनाएं बोडो लिब्रेशन टाईगर द्वारा की गई मानी जा सकती है,

(ख) फिरौती के लिए व्यपहरण के अपने कार्यों के अतिरिक्त उगाही के अनेक क्रियाकलापों में लिप्त रहा है,

(ग) अपने आतंकवादी और विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखते हुए नए काडरों की भर्ती और जिला तथा आंचलिक स्तर को पुनर्गठित करने के लिए धीरे धीरे किन्तु व्यवस्थित अभियान चलाने के लिए आधारभूत स्तर पर अपने संगठनात्मक नेटवर्क की संरचना करने के कार्यक्रम को प्रारंभ करना,

(घ) बम विस्फोटों की श्रृंखला बनाते हुए राज्य को दहलाना, जिसके अन्तर्गत यह गंभीर बम विस्फोट भी है, जो कोकराझार जिले में ससापानी रेलवे स्टेशन के निकट 30-12-1996 की रात्रि को ब्रह्मपुत्र मेल में हुए थे और जिसके परिणामस्वरूप 34 यात्रियों की मृत्यु हुई थी और 63 अन्य घायल हुए थे,

(ङ) 8-8-1997 को बोडो लिब्रेशन टाईगर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर पुल के नीचे शक्तिशाली बम विस्फोट किया, जिसके परिणामस्वरूप पुल को क्षति पहुंची,

(च) 9-8-1997 को बोडो लिब्रेशन टाईगर के कार्यकत्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर टांगी पुल सं. 48/1 के नीचे अतयंत शक्तिशली बम विस्फोट किया,

(छ) 11-8-1997 को सारुपेटा और गऊगाच्छा रेलवे स्टेशन के बीच रेल की पटरियों पर एक शक्तिशाली बम का विस्फोट उस समय किया गया था जब राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली की ओर जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप इंजिन और 6 डिब्बे पटरी से उतर गए थे।

(ज) 20-8-1997 को असम के कोकराझार जिले में बोडो उग्रवादियों द्वारा किए गए शक्तिशली विस्फोट से एक पुल को उड़ा दिया गया, रेलगाड़ियों की आवाजाही में रुकावट डाली गई और 3 व्यक्ति घायल हुए ,

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि उनके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर बोडो लिब्रेशन टाईगर के क्रियाकलाप असम में बोडो प्रभुत्व वाले क्षेत्रों और बोडो लैण्ड स्वायत्त परिषद् के क्षेत्रों में बोडो और गैर बोडो के बीच शत्रुता को बढ़ावा देते हैं और इस प्रकार ऐसे कार्य कर रहे हैं और जो असम राज्य में सौहार्द बनाए रखने के प्रतिकूल है और वह इस प्रकार बोडो लिब्रेशन टाईगर को एक विधिविरुद्ध संगम समझती है।

अत: अब केन्द्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोडो लिब्रेशन टाईगर को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यदि बोडो लिब्रेशन टाईगर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को तुरन्त रोका और नियंत्रित नहीं किया जाता है तो इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप करने का अवसर मिलेगा :—

(1) अपने ध्वंसात्मक और आतंकवादी तथा हिंसात्मक क्रियाकलापों को तेज करने के लिए अपने काडरों को एकत्रित करना,

(2) ऐसे क्रियाकलापों का, जो बोडो और गैर बोडो समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देते हैं और ऐसे अन्य कार्यों का, जो सौहार्द को बनाए रखने के प्रतिकूल है स्वच्छंद रूप से प्रचार करना,

(3) बढ़ी संख्या में आम नागरिकों की हत्या करने और पुलिस तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों को निशाना बनाने में लिप्त रहना,

(4) और अधिक अवैध शस्त्र तथा गोला बारूद प्राप्त करना और उन्हें सम्मिलित करना,

(5) अपने विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि और अवैध कर उगाहना और संग्रहण करना।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि ऊपर उल्लिखित बोडो लिब्रेशन टाईगर के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए और बोडो लिब्रेशन टाईगर द्वारा हाल ही में पुलिस, सशस्त्र बलों और सिविलियनों के विरुद्ध की गई निरंतर बढ़ती हुई हिंसा से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि बोडो लिब्रेशन टाईगर को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाए और तद्नुसार केन्द्रीय सरकार उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि अधिसूचना, किसी ऐसे आदेश के, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, अधीन रहते हुए राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11011/4/97-एन. ई.-IV]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 1997

S. O. 715 (E).—Whereas the Bodo Liberation Tiger and the various wings (hereinafter referred to as BLT) has, as its professed aim, the creating of a separate Bodoland State with the Indian Union through an armed struggle and to organise insurgency and underground activities leading to a 'mass revolution' and thereby, the disruption of the sovereignty and territorial integrity of India ;

And whereas, the Central Government is of the opinion that BLT has

(i) indulged in various illegal and violent activities intended in furtherance of its objective of creating a separate Bodoland State in Assam;

(ii) in pursuance of its aims and objectives recently engaged in several unlawful and violent activities ;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that the unlawful and violent activities include

(a) 104 violent and terrorist incidents which are attributed to BLT during the period from 1996 to July 1997 ;

(b) indulging in a spate of extortion activities in addition to its acts of kidnapping for ransom ;

(c) embarking on a programme of structuring its organisational network at grass root level by launching a quiet but systematic drive for recruitment of fresh cadres and revamping of district and anchalic level, while continuing its terrorist and insurgency activities ;

(d) rocking the State by carrying a series of bomb explosions including the serious bomb explosions which took place in Brahmaputra Mail on the night of 30-12-96 near Sesapani Railway Station in Kokrajhar district and which resulted in the death of 34 passengers and injuries to 63 others ;

(e) on 8-8-97, BLT activists exploded powerful bomb under the bridge on NH-37, resulting in damage to the bridge ;

(f) on 11-8-97, BLT activists exploded a high power bomb under the Tangni bridge No. 48/1 on NH-52 ;

(g) on 11-8-97, a powerful bomb was exploded on Railway Track in between Sarupeta and Gaugacha Railway Station while Rajdhani Express was proceeding for Delhi resulting derailment of engine and 6 coaches ;

(h) on 20-8-97, a powerful explosion set off by Bodo militants blew up a bridge, halting movement of trains and injuring three persons in Kokrajhar district of Assam ;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that on the basis of material placed before it the activities of BLT promote enmity between Bodos and non-Bodo communities in Bodo dominated areas and Bodoland Autonomous Council (BAC) areas in Assam and is thus doing acts which are prejudicial to the maintenance of harmony in the State of Assam and thus considers BLT as an inlawful association ;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Bodoland Liberation Tiger (BLT) an unlawful association.

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if there is no immediate curb and control of unlawful activities of BLT, it will take the opportunity to :—

(1) mobilise its cadres for escalating its subversive and terroist and violent activities ;

(2) openly propagate activities which will promote enmity between Bodo and non-Bodo communities and to other acts prejudicial to maintenance of harmony ;

(3) indulge in increased killings of civilians and targetting of police and security force personnel ;

(4) procure and induct more illegal arms and ammunitions ;

(5) extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities ;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of BLT mentioned above and to meet the sustained and ever increasing violence committed by the BLT in the recent past against the police, the other armed forces and the civilians, it is necessary to declare the BLT to be an unlawful association with immediate effect and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section the Central Government hereby directs that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 11011/4//97-NE-IV]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997.